नम्बर अहकाम हुक्म में

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करेडा जिला–भीलवाड़ा

[पीठासी]न अधिकारी :– महीपाल सिंह आर0ए0एस0

[प्रकरण] संख्या :– 179/2020 प्रा0 पत्र

नारायण पिता देवा जाति मेघवाल उम्र बालिग नि0 गिगाफलास का खेडा

प्रार्थी.......

बनाम

चान्दु पिता नाथी जाति बलाई उम्र बालिग नि0 गुगलिया ग्राम पंचायत गोगेलाव व अन्य

विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: दिनांक 06/04/2021

[प्र]ार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत [कर निवे]दन किया कि ग्राम गोरख्या पटवार हल्का गोरख्या तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त [खाते क]ी आराजी नम्बर 3487/2077, 3632/2222 कुल किता 02 रकबा......... [.....]........हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा [.....]ही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/ [संयुक्त] खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

[प्र]स्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26/10/2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को [...]नार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी [...]ा अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी [का] अदेंशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते [...]र्मक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

[प्रा]र्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम........... गोरख्या..................... पटवार हल्का.........गोरख्या.............. तहसील करेडा में स्थित आराजी [नम्बर] 3487/2077, 3632/222...कुल किता.......02....... रकबा............ हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु [भू अभि]लेख निरीक्षक......गोरख्या.......को......600........./– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त [किया जा]ता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा कराये[...] जमा होने पर पक्षकारान [...]गी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते[...] [...]ल बिन्दु को आधार मानकर [...] की जावें। फसल खडी होने पर पत्थर[गढी नहीं की] जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.21 10:44:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी करेडा
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
करेडा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी करेडा
[तहसीलदार] करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार [पत्थरगढी] की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी करेडा
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर करेडा
करेडा जिला भीलवाड़ा